भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2292

दिनांक 31 जुलाई, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

औषधीय सीरपों के लिए चिकित्सकीय नुस्खा

†2292. श्री सुदामा प्रसादः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा औषधीय सीरपों के लिए केवल चिकित्सकीय नुस्खे की अनिवार्यता का ग्रामीण, जनजातीय तथा दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले उन रोगियों पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया गया है, जहाँ पंजीकृत चिकित्सकों तक पहुंच सीमित है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार द्वारा देश में चिकित्सकीय नुस्खे के बिना सीरप आधारित औषधियों की अवैध बिक्री रोकने के लिए कोई निगरानी तंत्र स्थापित किया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 तथा ओषधि नियम, 1945 के अनुसार, खाँसी की सिरप सहित अनुसूची एक्स, एच और/या एच1 के अंतर्गत आने वाली सभी औषधियाँ केवल पंजीकृत चिकित्सा प्रैक्टिशनर (आरएमपी) के पर्चे पर ही खुदरा बिक्री के लिए उपलब्ध होंगी। इसके अतिरिक्त, उक्त नियमों की अनुसूची 'के' में 1,000 व्यक्तियों से अनअधिक आबादी वाले ऐसे गांवों में खांसी की सिरप की बिक्री के लिए छूट का प्रावधान किया गया जहाँ उक्त अधिनियम के तहत कोई विक्रेता लाइसेंस प्राप्त नहीं था। हालाँकि, सरकार ने दिनांक 09.06.2026 की अधिसूचना सा.का.नि 477 (अ) द्वारा ओषधि नियम, 1945 में संशोधन कर उक्त छूट को वापस ले लिया है, ताकि नियामक नियंत्रण को बढ़ाया जा सके और रोगी सुरक्षा के हित में खांसी की दवा के सुरक्षित उपयोग को बढ़ावा दिया जा सके।

हालाँकि, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों/उप-केंद्रों से संबद्ध बहुउद्देश्यीय कर्मी, ग्रामीण स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवक, शहरी परिवार कल्याण केंद्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों/उप-केंद्रों से संबद्ध नर्स,

सहायक नर्सें, मिडवाइफ़ और लेडी हेल्थ विजिटर्स, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों में तैनात सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी अनुसूची 'के' के अंतर्गत बिना बिक्री लाइसेंस के निर्धारित दवाएँ वितरित करने की अनुमति रखते हैं।

राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण अधिनियम और उसके अंतर्गत आने वाले नियमों के प्रावधानों के अनुपालन के सत्यापन के लिए समय-समय पर, या जोखिम-आधारित दृष्टिकोण के अनुसार, लाइसेंस प्राप्त परिसरों का आवधिक निरीक्षण करते हैं। राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरणों द्वारा दोषी फर्मों के विरुद्ध लाइसेंस निलंबन और निरस्त करने तथा न्यायालय में अभियोजन जैसी कार्रवाइयाँ की जाती हैं।
